भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
कार्यालय - मुख्य आयकर आयुक्त -1, अहमदाबाद
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX -1, AHMEDABAD
कक्ष सं 708, आयकर भवन, वेजलपुर, अहमदाबाद
Room No. 708, Aayakar Bhawan, Vejalpur, Ahmedabad
दूरभाष (079) 26941707, पिन: 380015 / Tel. : (079) 26941707, PIN: 380015
E mail: ahmedabad.ccit1@incometax.gov.in

No. CC-1/ABD/HQ/17(2)/KSH/37/2021-22 | 205 **दिनांक :** 13/07/2022

विषय : आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन कृष्ण शैल्बी हॉस्पिटल, कृष्ण इकाई (शैल्बी लिमिटेड की इकाई), *319*, ग्रीन सिटी, घूमा वाया बोपाल, अहमदाबाद को अनुमोदन प्रदान करने के बारे में--
(पैन: AAICS5593B)

Sub. : Approval under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the I. T. Act, 1961 in respect of Krishna Shalby Hospital, Krishna Unit (A Unit of Shalby Ltd.), 319, Green City, Ghuma Via Bopal, Ahmedabad (PAN: AAICS5593B) – reg

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुमोदन/Approval u/s 17(2) of the I. T. Act, 1961

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए(1) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन और उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए:

कृष्ण शैल्बी हॉस्पिटल, कृष्ण इकाई (शैल्बी लिमिटेड की इकाई), *319*, ग्रीन सिटी, घूमा वाया बोपाल, अहमदाबाद को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करता हूँ।

In exercise of powers conferred under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income-tax Act,1961 read with Rule 3A(1) of the Income tax Rules,1962 and having regard to guidelines prescribed therein, approval is hereby granted to:

Krishna Shalby Hospital, Krishna Unit (A Unit of Shalby Ltd.), 319, Green City, Ghuma Via Bopal, Ahmedabad

2. तदानुसार, किसी कर्मचारी द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य पर आयकरनियमावली, 1962 के नियम 3ए(2) के अधीन विहित रोग अथवा बीमारी के इलाज के लिए ऊपर उल्लिखित अस्पताल में प्रत्यक्ष रूप से किए गए किसी भी खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा संदत्त राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15,16 व 17 के उद्देश्यों के लिए परिलब्धि नहीं माना जाएगा। कर्मचारी को ऐसी राशि के लिए आयकर में छूट दी जाएगी। ऐसी राशि के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अधीन नियोक्ता कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her medical treatment of any other member of his/her family

at the above mentioned Hospital in respect of the diseases or ailments prescribed under Rule 3A(2) of the Income tax Rules,1962, shall not be treated as perquisite for the purpose of section 15,16 and 17 of the Income tax Act,1961 and such sum shall be exempt from Income tax in the hands of the employee. The employer will not be liable to deduct tax under section 192 of the Income tax Act, 1961 in respect of such sum.

3. यह अनुमोदन केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के उद्देश्य के लिए एवं इसको किसी अन्य उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त - गुजरात अथवा सरकार के अधीन किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. The approval is only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 and shall not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad or any other statutory authority under the Government, for any other purpose.

4. यह अनुमोदन तारीख **12/05/2022 से 11/05/2025** तक 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ऐसे अनुमोदन तथा संशोधन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों में किसी परिवर्तन द्वारा अनिवार्य बनाने की स्थिति में नियम 3ए(2) के अधीन विहित सांविधिक शर्तों के साथ अस्पताल द्वारा अनवरत अनुपालन पर निर्भर है।

4. The approval is valid for a period of three years from **12/05/2022 to 11/05/2025** and is subject to the continued compliance with the statutory conditions prescribed under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval and such modifications as may be necessitated by any amendment to the provisions governing the approval under Income tax Act, 1961.

5. यह अनुमोदन का आदेश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन है:-

5. The order of the approval is subject to the following terms and conditions:-

(क) यह अनुमोदन अन्तरणीय नहीं है।

(a) The approval is not transferable,

(ख) आयकर विभाग द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए अस्पताल सभी उचित समय पर खुला रहेगा।

(b) The Hospital shall, at all reasonable times, be open for inspection by such officers of the Income tax Department as are duly authorized in this behalf,

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप धारा (2) के परन्तुक (viii) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (बी) के अधीन अस्पताल को विहित शर्तों का पालन करना होगा। कानून द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अस्पताल की ओर से यह अनिवार्य होगा कि ऐसे तथ्य की सूचना अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी को तुरंत दी जाए।

(C) The hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub

मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1 सत्यमेव जयते अहमदाबाद

Clause (b) of clause (ii) of the proviso (viii) to clause (2) of section 17 of the Income tax Act, 1961 read with Rule 3A of the Income tax Rules, 1962. In the event that the hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Act, it will be mandatory on the part of the hospital, to intimate such fact immediately, to the approving authority.

(घ) इस अनुमोदन की समाप्ति के कम से कम 30 दिन पहले अनुमोदन के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

(d) The application for renewal of approval should be submitted at least 30 days before the expiry of the current approval.

(ड) यह अनुमोदन इस शर्त पर दिया जा रहा है कि अस्पताल फॉर्म-C जमा करा देगा। अस्पताल को निर्देशित किया जाता है कि अगर उसकी फॉर्म-C की अर्जी खारिज हो जाती है तो इसकी सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जाए। इस स्थिति मै यह अनुमोदन निरस्त मान्य होगा ।

(e) This approval is subject to the condition of submission of Form-C by the hospital. The hospital is directed to inform this office immediately, if its application has been rejected by the AMC, and in such case this approval stands cancelled.

Sd/-

(सतेन्द्र सिंह राणा)

(SATINDER SINGH RANA)

मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद।

Chief Commissioner of Income tax-1, Ahmedabad.

निदेशक, कृष्ण शैल्बी हॉस्पिटल, कृष्ण इकाई (शैल्बी लिमिटेड की इकाई), *319,* ग्रीन सिटी, घूमा वाया बोपाल, अहमदाबाद

The Director, Krishna Shalby Hospital, Krishna Unit (A Unit of Shalby Ltd.), 319, Green City, Ghuma Via Bopal, Ahmedabad

Copy To/प्रतिलिपि:-

1. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली।
(1) The Secretary, CBDT, New Delhi.
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात, अहमदाबाद ।
(2) Pr.Chief Commissioner of Income-tax, Gujarat, Ahmedabad.
3. मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), अहमदाबाद ।
(3) The CCIT (TDS), Ahmedabad
5. मुख्य आयकर आयुक्त, सुरत / राजकोट् ।
(5) The CCsIT- Rajkot / Surat.
6. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), अहमदाबाद।
(6) The DGIT (Inv), Ahmedabad
7. प्र॰ आयकर आयुक्त – 1/3, अहमदाबाद
(7) Principal Commissioners of Income tax – 1/3, Ahmedabad
8. अतिरिकत आयकर आयुक्त, रेंज-4(1), अहमदाबाद।

(8) The Addl. CIT. Range-4(1), Ahmedabad
9. उप आयकर आयुक्त, सर्कल- 4(1)(1), अहमदाबाद
10. आयकर अधिकारी, (जनसम्पर्क् / कल्याण), अहमदाबाद
11. गार्ड फाईल

(रंजीत एम साह) (Ranjit M Sah)
सहायक आयकर आयुक्त, (मुख्या.)-1/ACIT(HQ)-1,
कृते, मुख्य आयकर आयुक्त अहमदाबाद-1/for Chief Commissioner of Income-tax-1, Ahmedabad